नईदुनिया

ए.आई. के क्षेत्र में भारत की स्थिति और चुनौतियाँ

डॉ. विश्वास तिवारी

भारत की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में 5 दिवसीय ए.आई. समिट का सफलता पूर्ण आयोजन किया गया जिसमें देश को ए.आई. के क्षेत्र में 250 अरब डॉलर से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जिसमें सौ बड़ी कंपनियों के सीईओ, बीस देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 135 देशों ने प्रतिनिधियों के जुड़ने की बात कही जा रही है। इस समिट में पांच लाख से अधिक आंगतुको ने भाग लिया। हाल ही के वर्षों में दुनिया के सबसे युवाओं की आबादी वाले भारत में ए आई को लेकर जिस तरह का जुनून और उत्साह देखने को मिला है उससे यह उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में भारत ए.आई. का हब बन सकता है। आज ए आई की स्वीकार्यता और व कारोबार तेजी से बढ़ा है, लेकिन सभी विकसित और धनी देश इस तकनीक को अपनाने की होड़ में लगे है जिससे गरीब और विकासशील देश अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे है। इससे दुनिया भर में व्याप्त आर्थिक और तकनीकी असमानताएं ज्यादा बढ़ेगी। पिछले दिनों अमेरिका के प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने भारत को ए आई के मामले में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में आंका है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया के कुल ए आई विशेषज्ञों में से 16 प्रतिशत भारत में रहते है और जनरेटिव ए आई प्रोजेक्ट में हम संसार में दूसरे स्थान पर है। आंकड़ों के अनुसार भारत के 89 फीसदी नए स्टार्टअप्स ए आई का प्रयोग करते है। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा से ही नई तकनीक और स्टार्टअप को बढ़ावा देते रहे है। इस बजट में भी एक लाख करोड़ रुपये का ऐसा कोष तैयार किया गया है जो नए शोध के लिए नौजवानों को ब्याज-मुक्त धन मुहैया करवा रहा है। जून 2025 को 'भारत जेन' ए आई संसार का पहला सरकार पोषित ए आई मॉडल लांच हुआ। यह 'लार्ज-लैग्वेज मॉडल है।' अगर हमें ए आई क्षेत्र में भारत को शीर्ष पर पहुंचाना है तो हमें देश की विभिन्न भाषाओं में ए आई सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने होंगे। हमारी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर हम आज ए आई की दौड़ में शामिल नहीं हुए तो हम दुनिया के अन्य देशों से पीछे छूट जाएंगे। इस ए आई सम्मेलन से सरकार ने प्रतिभाशाली और ए आई में रूचि रखने वाले नौजवानों को यह भरोसा दिया है कि आपकी महत्वांकाशाओं को पूरा करने के लिए हर सुविधा देने को तैयार है, ताकि ऐसे युवाओं का देश से पलायन रोका जा सके। इस सम्मेलन के बल पर सरकार ए आई से उपजे डीपफेक, साइबर सुरक्षा जैसी नई चुनौतियों से जूझने के लिए नए नैतिक मानदंड और कानून स्थापित करने में पहल की है।

भारत के एआई स्टैक की पांच परतों के निर्माण की नीति अपनाई है, जिसमें डेटा, प्लेटफार्म, मॉडल, एप्लिकेशन और गर्वनेस शामिल है। इस 'सॉवरेन बुके' मॉडल का उद्देश्य देश के लिए स्वदेशी ए आई क्षमताओं का विकास करना है, जिससे हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो सके। ए आई सुरक्षा के लिए 12 संस्थानों का नेटवर्क तैयार किया गया है जो शोध, मानकों और परीक्षण पर कार्य कर कर रहा है। भारत में ए आई की साप्ताहिक सक्रिय उपयोगकर्ता की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो चुकी है जिससे भारत, अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा बाजार बन गया है।

बैल की जगह ट्रैक्टर ने ले ली, टाइपराइटर की जगह कम्प्यूटर ने ले ली और अब तो लोग खत की बजाए ई-मेल करना ही पंसद करते है। इन सभी बदलावों ने इंसानों की जरूरत कम नहीं की, बल्कि उसे सरल किया और समय को बचाया। देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि एआई नौकरियां नहीं छीनेगा, बल्कि यह नए हुनर को सीखने का अवसर दे रहा है। यह उन कार्यों को बड़ी तेजी से और बहुत सर्तकता से कर सकता है जिसे बार बार दोहराना पड़ता है जैसे ग्राहक सेवा के सवालों के उत्तर देना, डाटा का विश्लेषण करना, रिपोर्ट बनाना या फिर दस्तावेजों को क्रम में व्यवस्थित जमाना।

जब इंटरनेट आया था तब भी लोगों ने इसका विरोध किया था और जब ए आई आया है तो लोग कह रहे है कि यह देश में बेरोजगारी बढ़ा देगा। जब इंटरनेट आया था तब हमारी याददाश्त कमजोर हो गई थी। याद कीजिए कि पहले हमें कितने टेलीफोन नंबर याद रहते थे, दोस्तों और रिश्तेदारों की सालगिरह याद रहती थी। ऐसे ही ए आई से यह डर है कि कहीं ये हमारी रचनात्मकता नहीं छीन ले। लेखक, कलाकारों के लिए यह खतरे की घंटी है। ए आई की सबसे बड़ी खासियत है कि यह इंसानों की जगह लेने के बजाए उनकी क्षमता को बढ़ाता है। ए आई सुझाव दे सकता है, जानकारी दे सकता है और कई कामों को आसान बना सकता है, कम समय में कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय आपको ही लेना और सही दिशा तय करना और समस्याओं को समझना अभी भी इंसानों को ही करना होगा।

उदाहरण के लिए बैल की जगह ट्रैक्टर ने ले ली, टाइपराइटर की जगह कम्प्यूटर ने ले ली और अब तो लोग खत की बजाए ई-मेल करना ही पंसद करते है। इन सभी बदलावों ने इंसानों की जरूरत कम नहीं की, बल्कि उसे सरल किया और समय को बचाया। देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि एआई नौकरियां नहीं छीनेगा, बल्कि यह नए हुनर को सीखने का अवसर दे रहा है। यह उन कार्यों को बड़ी तेजी से और बहुत सर्तकता से कर सकता है जिसे बार बार दोहराना पड़ता है जैसे ग्राहक सेवा के सवालों के उत्तर देना, डाटा का विश्लेषण करना, रिपोर्ट बनाना या फिर दस्तावेजों को क्रम में व्यवस्थित जमाना। अब यह काम ए आई चुटकी बजाते ही कर सकता है। ए आई कोड लिख सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां होगा, कैसे होगा या किस कंपनी में होगा और समाज के लिए कितना उपयोगी होगा, यह इंसान को ही करना होगा। ए आई पर हमारी निर्भरता अब बढ़ती जा रही है। एक शोध के अनुसार 70 प्रतिशत युवा बिना एआई टूल्स के रिसर्च नहीं कर पाते है। ए आई पर निर्भरता सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई दे रही है।

आजकल के छात्र अपना होमवर्क या निबंध स्वयं नहीं करते है, बल्कि उसे ए आई से कॉपी-पेस्ट कर लेते हे, यहां तक की नौकरी की चाह रखने वाले युवा अपना बॉयोडाटा भी ए आई से ही बनवा लेते है। यानि यह एक तरह से ए आई हमारे दिमाग को सुस्त बना रही है और हमारी रचानात्मक को समाप्त कर रही है। इसके अलावा ए आई से कई अपराध भी हो रहे है। डीपफेक वीडियो से राजनीतिक उथल-पुथल हो रही है। चुनाव प्रभावित हो रहे है।

हमारे देश में बेरोजगारी दर अधिक है और लगभग 55 प्रतिशत लोग स्वरोजगार या दिहाड़ी मजदूर है। अब लोग ए आई के उपयोग से ऑनलाईन सामान घर बैठे मंगवा रहे है ऐसे में छोटे दुकानदारों (स्वरोजगार) का क्या होगा। इसमें नौकरियां जाने का भी डर है जैसे टिकट चेक करने और जारी करने वाले लोग, डाकिया, रेलवे के सिग्नल कर्मी, स्टेनोग्राफर, बैंक कर्मी और निजी शिक्षक जैसे नौकरियां खतरे में पड़ सकती है। यह भी सच है कि ए आई की यह तकनीक परंपरागत नौकरियों को खत्म करने के साथ नई नौकरियों का सृजन भी कर रही है। यह एक चुनौतियों के साथ अवसर भी है। भारत को इस अवसर को भुनाने के लिए अपने लोगों को ए आई के उपयोग के प्रति सक्षम बनाना होगा और इसमें तेजी दिखानी होगी।

क्या बिहार में बनेगा भाजपा का मुख्यमंत्री

नीतीश युग के बाद राजनीति का नया समीकरण

बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। लंबे समय से राज्य की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो रहा है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव की राजनीतिक मजबूती को लेकर भी बहस जारी है। इन परिस्थितियों में बिहार की सत्ता का समीकरण तेजी से बदलता नजर आ रहा है।

करीब दो दशकों से बिहार की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार ने कई बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उन्होंने 2005 से लेकर अब तक अलग-अलग राजनीतिक गठबंधनों के साथ सरकार चलाई। कभी भाजपा के साथ, तो कभी राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सत्ता संभाली।

लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उनकी राजनीतिक ताकत पहले जैसी नहीं दिखाई देती। एक समय था जब 2005, 2010, 2015 और 2020 के चुनावों में वे सत्ता के निर्विवाद केंद्र थे, परंतु अब स्थिति बदल चुकी है। उनकी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) के पास भले ही अच्छी संख्या में विधायक हों, लेकिन सत्ता का असली संतुलन अब भाजपा के हाथों में अधिक दिखाई देता है।

बिहार विधानसभा में भाजपा आज सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 101 सीटों पर चुनाव लड़कर पार्टी ने 79 सीटें जीतकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। इसके कारण सत्ता के समीकरण में भाजपा की भूमिका निर्णायक हो गई है।

अगर भाजपा अपने सहयोगियों को जोड़ ले तो स्थिति और मजबूत हो जाती है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और वह एनडीए के साथ खड़ी है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी भाजपा के साथ मानी जाती हैं।

इन सभी दलों के विधायकों को जोड़ने पर भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की संख्या 117 के आसपास पहुंच जाती है, जबकि बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। यानी बहुमत से केवल पांच सीटों की कमी रह जाती है।

राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज है कि क्या नीतीश कुमार को दबाव में मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि भाजपा की बढ़ती ताकत के कारण उनके लिए मुख्यमंत्री बने रहना पहले जैसा आसान नहीं रहा। हालांकि जदयू के कुछ नेता अभी भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन भाजपा के अंदर यह भावना भी बढ़ रही है कि अब राज्य में पार्टी का अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा के लिए पांच अतिरिक्त विधायकों का समर्थन जुटाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। छोटे दलों या निर्दलीय विधायकों के समर्थन से यह संख्या आसानी से पूरी की जा सकती है।

राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज है कि क्या नीतीश कुमार को दबाव में मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि भाजपा की बढ़ती ताकत के कारण उनके लिए मुख्यमंत्री बने रहना पहले जैसा आसान नहीं रहा। हालांकि जदयू के कुछ नेता अभी भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन भाजपा के अंदर यह भावना भी बढ़ रही है कि अब राज्य में पार्टी का अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यह लगभग चार दशक बाद होगा, जब बिहार में भाजपा का पूर्ण रूप से नेतृत्व वाला मुख्यमंत्री सत्ता संभालेगा।

बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को भी एक बड़े खिलाड़ी के रूप में देखा जाता है, लेकिन हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों में उनकी पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार मजबूत नहीं माना जा रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर राजद को 60 से 70 सीटें मिलतीं तो स्थिति पूरी तरह अलग हो सकती थी। उस स्थिति में नीतीश कुमार के पास भाजपा से अलग होकर नई सरकार बनाने की संभावना भी मजबूत हो सकती थी, लेकिन मौजूदा समीकरणों में ऐसा करना उनके लिए बेहद जोखिम भरा कदम होगा।

अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है और भाजपा मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करती है तो सबसे पहले जिस नाम की चर्चा होती है, वह है सम्राट चौधरी। उन्हें भाजपा का मजबूत ओबीसी चेहरा माना जाता है और संगठन में उनकी पकड़ भी मजबूत है।

इसके अलावा विजय कुमार चौधरी का नाम भी चर्चा में आता है, हालांकि वे जदयू से जुड़े रहे हैं और समीकरण बदलने पर ही उनकी संभावना बनती है। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक यह भी मानते हैं कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी नए चेहरे को सामने लाकर सभी को चौंका सकते हैं। ऐसा पहले भी कई राज्यों में देखा गया है, जहां पार्टी ने अचानक नए नेता को मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार की राजनीति में लंबे समय तक दो ही ध्रुव रहे हैं—एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक परिवार। लेकिन अब यह व्यवस्था बदलती हुई दिखाई दे रही है। यदि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो यह बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत मानी जाएगी। इससे राज्य की सत्ता संरचना और राजनीतिक रणनीतियां पूरी तरह बदल सकती हैं।

बिहार की राजनीति इस समय संक्रमण के दौर से गुजर रही है। नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक प्रभाव अब चुनौती के दौर में है। भाजपा की बढ़ती ताकत और विपक्ष की कमजोर स्थिति ने सत्ता के समीकरण को जटिल बना दिया है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार में सचमुच भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है या फिर सत्ता संतुलन बनाए रखने के लिए कोई नया राजनीतिक फार्मूला सामने आता है। इतना तय है कि बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में कई बड़े मोड़ लेने वाली है और इसका असर पूरे देश की राजनीति पर भी पड़ेगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

जनजातीय अस्मिता को सम्मान विकास से जुड़ने की नई उम्मीद

मध्यप्रदेश सरकार ने निमाड़ अंचल के प्रसिद्ध भगोरिया पर्व को राजकीय मान्यता देकर जनजातीय संस्कृति को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़वानी जिले के जुलवानिया भगोरिया हाट में यह घोषणा की। यह निर्णय केवल एक सांस्कृतिक आयोजन को सरकारी दर्जा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे आदिवासी समाज की पहचान, परंपरा और सामाजिक जीवन को औपचारिक सम्मान मिलने का रास्ता भी खुला है।

भगोरिया पर्व मुख्य रूप से निमाड़ क्षेत्र के भील और भिलाला जनजातीय समुदाय का पारंपरिक उत्सव है। यह पर्व होली के पहले लगने वाले हाट-बाजारों के दौरान मनाया जाता है। इस दौरान गांवों और कस्बों में सजने वाले भगोरिया हाटों में पारंपरिक वेशभूषा, लोकसंगीत, नृत्य और मेल-मिलाप का अनूठा वातावरण दिखाई देता है। मांदल और ढोल की थाप पर युवक-युवतियां पारंपरिक नृत्य करते हैं और पूरा वातावरण उत्साह से भर जाता है।

दरअसल, भगोरिया केवल एक पर्व नहीं बल्कि जनजातीय समाज की जीवनशैली और सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रकृति के साथ सामंजस्य, सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का प्रतीक माना जाता है। लंबे समय तक इस पर्व को स्थानीय परंपरा के रूप में ही देखा जाता रहा, लेकिन अब इसे राजकीय मान्यता मिलने से इसकी पहचान और व्यापक होगी।

भारतीय लोकतंत्र में सांस्कृतिक प्रतीकों का विशेष महत्व होता है। जब कोई राज्य किसी लोकपर्व को राजकीय दर्जा देता है तो वह उस समाज की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को औपचारिक मान्यता देता है। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय नायकों और परंपराओं को सम्मान देने के कई प्रयास किए गए हैं। मध्यप्रदेश का यह निर्णय उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

हालांकि किसी भी सांस्कृतिक निर्णय की वास्तविक सफलता उसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव से ही तय होती है। यदि यह पहल केवल उत्सवों और समारोहों तक सीमित रह जाती है तो इसका असर सीमित होगा। लेकिन यदि इसे क्षेत्रीय विकास, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाता है तो यह आदिवासी क्षेत्रों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है।

इसी दृष्टि से बड़वानी क्षेत्र में घोषित विकास योजनाएं महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। सरकार ने यहां आधुनिक सब्जी मंडी के निर्माण, लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में आदर्श बीज उत्पादन केंद्र, माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना की योजना सामने रखी है। इन योजनाओं का उद्देश्य स्थानीय किसानों को बेहतर बाजार, तकनीक और भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

निमाड़ क्षेत्र पहले से ही उद्यानिकी और कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहां सब्जी, कपास और अन्य फसलों का अच्छा उत्पादन होता है। यदि सरकार की योजनाएं जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू होती हैं तो इससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिल सकता है। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

इसके बावजूद जनजातीय बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि सांस्कृतिक सम्मान के साथ-साथ इन मूलभूत क्षेत्रों में भी ठोस सुधार किए जाएं। तभी इस निर्णय का व्यापक और दीर्घकालिक प्रभाव दिखाई देगा।

कुल मिलाकर भगोरिया पर्व को राजकीय मान्यता देना एक सकारात्मक पहल है। यह निर्णय दर्शाता है कि राज्य अपनी सांस्कृतिक विविधता को सम्मान देने के साथ-साथ जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। यदि इस सांस्कृतिक सम्मान को विकास की ठोस योजनाओं से जोड़ा गया तो भगोरिया केवल एक पर्व नहीं रहेगा, बल्कि जनजातीय अस्मिता, सामाजिक विश्वास और समावेशी विकास का प्रतीक बन सकता है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

बढ़ती श्रमिक मौतें: विकास की रफ्तार के बीच चिंता का संकेत

भारत जैसे विशाल और विकासशील देश में श्रमिक वर्ग अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। उद्योग, निर्माण, परिवहन, कृषि और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूर देश के विकास को गति देते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में श्रमिकों की बढ़ती मौतों के आंकड़े गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। विशेष रूप से मध्य प्रदेश में श्रमिकों की मौत का बढ़ता आंकड़ा प्रशासन और समाज दोनों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में देश में लगभग 69 हजार श्रमिकों की मौत दर्ज की गई है। वहीं वर्ष 2024 से अब तक 19 हजार से अधिक श्रमिकों की मौत हो चुकी है। चिंता की बात यह है कि इन मौतों में अधिकांश श्रमिकों की उम्र 60 वर्ष से कम रही है, जबकि देश में औसत आयु लगभग 67 वर्ष मानी जाती है। इसका अर्थ यह है कि बड़ी संख्या में श्रमिक समय से पहले ही अपनी जान गंवा रहे हैं।

मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति और अधिक चिंताजनक दिखाई देती है। वर्ष 2023 में लगभग 48 हजार श्रमिकों की मौत दर्ज की गई थी। इसके बाद 2024 में यह संख्या बढ़कर करीब 50 हजार हो गई और 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 69 हजार तक पहुंच गया। यह वृद्धि दर्शाती है कि श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश में लगभग 42 क्षेत्रों में करीब 2 करोड़ असंगठित श्रमिक कार्यरत हैं। इनमें 51 लाख से अधिक महिलाएं भी शामिल हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अक्सर नियमित स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा उपकरण और सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाता। यही कारण है कि इस वर्ग में दुर्घटनाओं, बीमारियों और समय से पहले मौत की घटनाएं अधिक देखने को मिलती हैं। निर्माण स्थलों, औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्रियों और कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को अक्सर कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। कई स्थानों पर न तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध हैं और न ही आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था। ऐसे में अचानक बीमारी या दुर्घटना होने पर समय पर उपचार नहीं मिल पाता, जो कई बार मौत का कारण बन जाता है।

श्रमिकों की मौत के मामलों में सरकार द्वारा मुआवजा भी दिया जाता है। हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपये तक का मुआवजा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दिया जाता है। हालांकि मुआवजे की राशि लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद मौतों का आंकड़ा कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि

केवल मुआवजा देना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। जरूरत इस बात की है कि श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों में सुधार किया जाए। यदि दुर्घटनाओं और बीमारियों को पहले ही रोक लिया जाए तो कई कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना प्रमुख है। इस योजना के तहत असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

हालांकि योजना के तहत लाखों श्रमिक पंजीकृत हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी बड़ी संख्या में श्रमिक इस दायरे से बाहर हैं। कई मामलों में श्रमिकों की मौत का पंजीकरण भी नहीं हो पाता, जिसके कारण वास्तविक आंकड़े सामने नहीं आ पाते। वर्ष 2024 में लगभग 12 हजार और 2023 में 21 हजार से अधिक मौतें ऐसी बताई गई हैं जो आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं हो पाईं।

श्रमिकों की मौत के पीछे कई कारण सामने आते हैं। इनमें अत्यधिक काम का दबाव, खराब कार्य परिस्थितियां, स्वास्थ्य जांच की कमी, दुर्घटनाएं और पुरानी बीमारियां प्रमुख हैं। विशेष रूप से उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियां श्रमिकों में तेजी से बढ़ रही हैं।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि श्रमिकों की नियमित स्वास्थ्य जांच अनिवार्य की जानी चाहिए। इसके लिए श्रम विभाग को स्वास्थ्य, पुलिस, परिवहन और नगरीय प्रशासन विभाग के साथ समन्वय बनाकर काम करना होगा। औद्योगिक क्षेत्रों, निर्माण स्थलों और कृषि क्षेत्रों के आसपास स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करना भी बेहद जरूरी है।

श्रम विभाग के अनुसार 2 फरवरी को प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं कि कार्य के दौरान होने वाली मौतों के कारणों की समीक्षा की जाए। यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किन परिस्थितियों में श्रमिकों की मौत हो रही है और उन्हें कैसे रोका जा सकता है।

यदि जिलास्तर पर नियमित निगरानी और समीक्षा की जाए तो कई जोखिमों को पहले ही चिन्हित किया जा सकता है। इससे श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार 60 वर्ष से कम उम्र के लगभग 90 प्रतिशत श्रमिकों की मौत कामकाजी उम्र में ही हो रही है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है क्योंकि यही वह आयु होती है जब व्यक्ति अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां निभा रहा होता है। ऐसे में उसकी अचानक मृत्यु परिवार को आर्थिक और सामाजिक संकट में डाल देती है।

श्रमिकों की बढ़ती मौतों को रोकने के लिए बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है। सबसे पहले श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। औद्योगिक और निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए। इसके अलावा नियमित स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य बीमा, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा और सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना जरूरी है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का अधिक से अधिक पंजीकरण भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

श्रमिक किसी भी समाज की उत्पादन शक्ति का आधार होते हैं। यदि वही वर्ग असुरक्षित और उपेक्षित रहेगा तो विकास की प्रक्रिया भी अधूरी रह जाएगी। मध्य प्रदेश में श्रमिकों की बढ़ती मौतें एक गंभीर चेतावनी हैं कि अब केवल योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें प्रभावी तरीके से लागू भी करना होगा। सरकार, प्रशासन, उद्योग और समाज सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रमिक सुरक्षित वातावरण में काम कर सकें और समय से पहले मौत का शिकार न हों। तभी सच्चे अर्थों में श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)